पालना हो।

पत्रावली दिनांक 11/3/2020 को पेश हो।

11/3/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। शेष रेस्पोंडेन्ट के समक्ष अपीलांट के अधिवक्ता श्री एस.एल. ने पेश की। प्रस्तुत पेश होने पर जारी हो। पूर्व पारित स्थगन आदेश की अवधि 17/3/2020 को पेश हो।

17/3/2020 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। मामले में पारित प्राथमिक डिक्री। निर्णय की अपील सं0 124/2019 में निर्णय उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी जाकर किया जा चुका है जिसके अनुसार अपीलार्थी P.D./निर्णय निरस्त कर मामला निर्देश देते हुए रिमाण्ड किया गया है। उभय पक्ष से सुना गया। U/C में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर पारित आलोच्य आदेश दि0 09/09/2019 का अवलोकन किया। इस पर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर सहभातेदार हैं इसलिए तुलनात्मक रूप में मामला प्रथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु किसी एक के पक्ष में प्रतीत नहीं होते लिहाजा उभय पक्ष को मामले में समान रूप से आदेशित किया जाना ज्यादा न्यायोचित एवं तर्कसंगत है।

P.D. की अपील में चूंकि मामला रिमाण्ड किया जा चुका है और प्राथमिक डिक्री नये सिरे से जारी होकर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होना शेष है लिहाजा मामले में विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार प्राप्त होकर अंतिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्ष राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट वादग्रस्त भूमि में अपने-2 निहितांश तक मौका एवं कब्जा की स्थिति अविनांक के संदर्भ में बनाये रखे जाने हेतु पाबंद रहे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर अपील अपीलांट अंशतः स्वीकार की जाती है।

पत्रावली बोर्ड नियमानुसार होकर नेक्स्ट से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। अधि0 न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति सहित लौटावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर